न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–95/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कैलाशचन्द पुत्र श्री कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तंहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र श्री कंजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ (अलवर)
2. तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

..... असल रेस्पो0

3. महेश चन्द पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ ।
4. मु0 बिरजी बेवा कजोड़ जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ – मृतक
5. कजोड़ पुत्र श्री रामचन्दर जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ – मृतक
6. बाबूलाल पुत्र जयनारायण मीना निवासी ग्रांम सकट तहसील राजगढ़ ।
7. भरतलाल पुत्र श्री जिन्सी जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ ।
8. मु0 सुकली बेवा चिरंजी जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ ।
9. नरसी पुत्र चिरंजी जाति मीना निवासी ग्राम सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.....तर0 रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री रमाकान्त शर्मा अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अजीत यादव अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 व 3
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

18/7

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 17/0.27, 35/0.41, 283/4050/0.07, 306/0.20, 307/0.18, 777/0.53, 779/0.02, 780/0.24, 2744/0.38, 2753/0.57, 18/4047/0.06, 180/0.24, 181/0.44, 188/0.27, 189/0.26, 241/0.07, 242/0.13, 545/0.20, 555/0.23, 630/0.25, 631/4064/0.05, 632/0.32, 633/0.27, 197/0.43, 198/0.07 वाके ग्राम सकट तहसील राजगढ़ में स्थित है जो आराजी सह खातेदारी की आराजी है जिस पर पक्षकारान शामलात में काश्त करते चले आ रहे हैं । आरजी का बंटवारा नहीं हुआ है । अब आराजी के कब्जे काश्त को लेकर पक्षकारान में विवाद रहता है जिसके लिए आराजी का बंटवारा किया जाना आवश्यक है । अन्त में दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा को डिक्री किया जाकर पक्षकारान में मुताबिक हिस्सा हाल रेकार्ड अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन कर पृथक–पृथक करने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 06.06.2017 कों दावा वादी अंतिम डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 06.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में मुख्य कथन यह है कि हमारे ख0 नं0 180 व 181 में उन पर आज भी अपीलांट काबिज है और इस जमीन को अन्य खातेदार रेवड़राम से एक्सचेन्ज किया था । रेवड़राम का ख0 नं0 781 है । पूर्व में हम पक्षकारान की आराजी ख0 नं0 781 रेवड़राम को दी तथा उसके बदले में ख0 नं0 180 व 181 सभी पक्षकारान को प्राप्त हुई । नया ख0 नं0 180 व 181 है । वक्त एक्सचेन्ज से ही ख0 नं0 180 व 181 पर अपीलांट का कंब्जा काश्त रहा है और मकानात बने हुए हैं । रामजीलाल रेस्पो0 ने डिक्री में इन खसरा नम्बरान को प्राप्त कर लिया और जब प्रारम्भिक डिक्री जारी हुई तब हमने ऑब्जेक्शन किया था कि ख0 नं0 180 व 181 अपीलांट को दे दिया जावें और उसके बदले अन्य खसरा नम्बर को वादी/रेस्पो0 को दिया जावें । हमारे ऑब्जेक्शन को ध्यान नहीं दिया और प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी हमारा दि0 13.05.2016 का ऑब्जेक्शन है । पुनः 6.6.2017 को कैम्प सकट में कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गयी । इसके आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गयी है । अतः अपील में हमारी प्रार्थना है कि ख0 नं0 180 व 181 को हमें दिया जावें । इस हेतु केस को तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया । ख0 नं0 555 और 18/4047 ख0 नं0 2753 मिन में से रामजीलाल को दे दिया जावें तथा इनका रकबा पूरा कर दिया जावें । अतः तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 सं0 1 का कथन है कि दि0 2.6.2016 की कुरेजात रिपोर्ट में जिससे अपलांट संतुष्ट नहीं था तथा उसके ऐतराज को अपील में हवाला नहीं दिया है । ऐतराज प्रार्थना पत्र के आधार पर पुनः संशोधित दि0 6.6.2017 को कुरेजात रिपोर्ट मिली है । विवाद को दूर करने हेतु मौके पर संशोधित कुरे रिपोर्ट तैयार की गयी है । उसी आधार पर दावा डिक्री किया है । ख0 नं0 180 व 181 पर अपीलांट के कोई मकान बने हुए नहीं है तथा उसका हवाला भी कुरे रिपोर्ट में नहीं है । विभाजन का वाद था तथा दोनों की उपस्थिति में कुरे रिपोर्ट बनाये हैं । तहत न्यायालय ने सही डिक्री व निर्णय पारित किया है । अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है । इसलिए अपीलांट की अपील खारिज की जावें ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2017 का अवलोकन किया ।

उभयपक्षों ने विवादित आराजी ख0 नं0 180 व 181 के संबंध में शपथपत्र पेश किये और उभयपक्षों ने अपना–अपना रिहायशी मकान और कब्जा काश्त होना बताया है । अपीलांट का कथन है कि ख0 नं0 180 व 181 में उनके मकानात व रिहायश बनी हुई है । वह रेस्पो0 को कुरे रिपोर्ट में गलत दी गयी है । रेस्पो0 रामजीलाल से ख0 नं0 180 व 181 अपीलांट की खातेदारी में दिये जानें और इसके बदले उतनी ही आराजी उनके हिस्से की कुरे रिपोर्ट में से दिये जाने का अनुरोध किया है ।

अपीलांट अभिभाषक का यह भी तर्क रहा है कि वक्त कुरे रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलांट को सूचना नहीं थी और एकतरफा ही कुरे रिपोर्ट प्राप्त की है । उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पेश करने का मौका ही नहीं मिला है ।

अपीलांट अभिभाषक की बहस व उभयपक्षों के शपथपत्रों के अवलोकन से यह उचित है कि ख0 नं0 180 व 181 के संबंध में तहसीलदार से पुनः मौका मुआयना उभयपक्षों की उपस्थित में कराया जावें और उसके बाद उभयपक्षों को मौका रिपोर्ट के आधार पर पुनः सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय ख0 नं0 180 व 181 की सीमा तक निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.06.2017 में ख0 नं0 180 व 181 के संबंध में पारित निर्णय निरस्त किया जाता है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है । प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट कैलाश व रेस्पो0 रामजीलाल की उपस्थिति में ख0 नं0 180 व 181 का मौका निरीक्षण करवाये तथा आबादी, मकानात बने होने की रिपोर्ट लेकर उभयपक्षों को सुनकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । ख0 नं0 180 व 181 के संबंध में यदि निर्णय करने से कुरेजात में अन्य खसरा नम्बरान को भी एक्सचेन्ज करना पड़े तो वह तहत न्यायालय द्वारा किया जावें । तहत न्यायालय को निर्देश है कि प्रकरण को तीन माह में निस्तारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

18/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर